

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 302]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 27 मई 2021 — ज्येष्ठ 6, शक 1943

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 मई 2021

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-2/2020/34-2 . — मंत्रिपरिषद् दिनांक 13-02-2021 (आयटम क्रमांक-35.26) में पारित निर्णय अनुसार राज्य शासन, एतद्द्वारा -

1. जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु एकल/समूह में ग्राम की नल जल योजना/रेट्रोफिटिंग कार्यों (ग्राम के अंदर के कार्यों) का एकल/समूह में निविदा के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु विभिन्न कार्यों-सर्वे, डी.पी.आर., प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा आमंत्रण, निविदा प्रकरण के निराकरण, अनुबंध करने, कायदेशि जारी करने एवं क्रियान्वयन करने से संबंधित समस्त अधिकार एवं ₹. 5.00 करोड़ तक के वित्तीय अधिकार जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को सौंपा जाता है.

इस संबंध में जो भी अधिकार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/वित्त विभाग/अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग को है, वे सभी अधिकार अब जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को सौंपा जाता है.

2. जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु समूह जलप्रदाय योजनाओं (Multi Village Scheme) के अंतर्गत (ग्राम के बाहर के कार्यों) क्रियान्वयन हेतु विभिन्न कार्यों- सर्वे, डी.पी.आर., प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा आमंत्रण, निविदा प्रकरण के निराकरण, से संबंधित समस्त अधिकार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सौंपा जाता है.

इस संबंध में जो भी अधिकार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/वित्त विभाग/अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग को है, वे सभी अधिकार अब राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सौंपा जाता है.

3. जल जीवन मिशन के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु बजट प्रक्रिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) एवं केम्पा के अनुरूप रखे जाने की अनुमति दी जाती है ताकि राज्य बजट में एक करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं को नामजद सम्मिलित करने की अनिवार्यता न रहे.

4. राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) को जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु समस्त वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित किया जाता है. SWSM को यह अधिकार होगा कि वह आवश्यकतानुसार DWSM को वांछित शक्तियां प्रत्यायोजित कर सके.

उक्त अधिसूचना जारी दिनांक 17-02-2021 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र सिंह बाघे, उप-सचिव.